[दिल्ली राजपत्र-भाग-IV (असाधारण) में प्रकाशनार्थ]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
माप एवं तोल विभाग (विधिक माप-विज्ञान विभाग)
प्लॉट नं.-17, संस्थागत क्षेत्र, विश्वास नगर, नई दिल्ली-110032

F.No.12(2)/माप एवं तोल /प्रवर्तन/2026/261-69 दिनांक: 08/05/2026

अधिसूचना

F.No.12(2)/माप एवं तोल/प्रवर्तन/2026/261-69, **विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009** की धारा 2 के खंड (q) के साथ पठित धारा 53 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतत द्वारा **दिल्ली विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011** में और संशोधन करने के लिए प्रस्तावित निम्नलिखित प्रारूप नियम, उन व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित किए जाते हैं, जो इससे प्रभावित हो सकते हैं।

सूचित किया जाता है कि दिल्ली विधिक माप-विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 में और संशोधन करने हेतु नियमों के प्रारूप पर, दिल्ली के राजपत्र में तथा 02 हिंदी और 02 अंग्रेजी राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप-राज्यपाल द्वारा विचार किया जाएगा।

इस संबंध में आपत्तियाँ या सुझाव नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, माप एवं तोल विभाग, प्लॉट नं.-17, संस्थागत क्षेत्र, विश्वास नगर, नई दिल्ली-110032 के कार्यालय में अथवा ई-मेल आईडी: controllerwmd@gmail.com तथा acwmhq@gmail.com पर प्राप्त किए जाएंगे।

प्रारूप नियम

दिल्ली विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2026

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:-

(1) इन नियमों को दिल्ली विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये दिल्ली के आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. नियम 11 में संशोधन:- दिल्ली विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 (जिसे आगे "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 11 में निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

(1) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(1) प्रत्येक माप या तोल से संबंधित निर्माता या मरम्मतकर्ता या विक्रेता, लाइसेंस जारी करवाने हेतु, नियंत्रक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को, अनुसूची II-A में निर्दिष्ट उपयुक्त प्रपत्र में आवेदन करना होगा। ऐसा लाइसेंस, लाइसेंस जारी होने से पहले किसी भी निरीक्षण के बिना, स्व-घोषणा के आधार पर जारी किया जाएगा:

परंतु यह कि, किसी निर्माता को अपने द्वारा निर्मित माप या तोल की मरम्मत के लिए, जो उसके निर्माण राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में उपयोग हो रहा हो, मरम्मत लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी; किन्तु निर्माता को संबंधित विधिक मापविज्ञान अधिकारी को मरम्मत के संबंध में पूर्व सूचना देनी होगी:

यह भी कि, कोई व्यक्ति यदि सद्भावपूर्वक अपने स्वामित्व या अधिकार में रखे गए माप या तोल की मरम्मत करता है, तो उसे मरम्मतकर्ता लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी;"

(2) उप-नियम (2) को हटाया जाएगा;

(3) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(4) किसी निर्माता, मरम्मत करने वाले या डीलर को कंट्रोलर या उसकी ओर से इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, अनुसूची IV में निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर

जारी किया गया प्रत्येक लाइसेंस तब तक वैध रहेगा जब तक कि उसे नियंत्रक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता।"

(5) उप-नियम (5) में दिए गए परन्तुक को हटाया जाएगा;

(6) उप-नियम (9) में "या नवीनीकृत" शब्द हटाए जाएंगे;

(7) उप-नियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(10) इन नियमों के अंतर्गत प्रदान किया गया लाइसेंस हस्तांतरणीय, विक्रेय या वंशानुगत नहीं होगा।"

3. नियम 12 में संशोधन. उक्त नियमों के नियम 12 के उप-नियम (1) में, जहाँ भी "नवीनीकृत" और "नवीनीकरण" शब्द आते हैं, उन्हें हटाया जाएगा।

4. अनुसूचियों में संशोधन

उक्त नियमों से संलग्न अनुसूचियों में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे:

(1) अनुसूची II-A के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: "अनुसूची II-A (जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न है)"

(2) अनुसूची II-B को हटाया जाएगा;

(3) अनुसूची III के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: "अनुसूची III (जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न है)"

(4) अनुसूची IV के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: "अनुसूची IV (जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न है)"

(5) अनुसूची V की तालिका के कॉलम (2) में "नवीनीकरण" शब्द हटाया जाएगा;

(6) अनुसूची VI के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: "अनुसूची VI (जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न है)"

(7) अनुसूची VII के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: "अनुसूची VII (जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न है)"

5. इन नियमों द्वारा संशोधित उक्त नियमों में किसी भी बात के निहित होते हुए भी, इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व जारी कोई भी लाइसेंस उसमें निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक वैध रहेगा, और उसके पश्चात संशोधित नियमों के अनुसार नया लाइसेंस प्राप्त किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

पंकज कुमार

(पंकज कुमार, आईएएस)
नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

टिप्पणी (FOOT NOTE): दिल्ली विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 दिनांक 31.03.2011 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्या 25 (N.C.T.D. No. 434) दिनांक 28.01.2026 द्वारा संशोधित किए गए।

अनुसूची – II–क

[नियम 11 (1) देखें]

प्रपत्र – LM – 1

[विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत **माप एवं तोल** के निर्माता के रूप में लाइसेंस के लिए आवेदन प्रपत्र]

प्रति,

(1)	आवेदक द्वारा भरा जाना है (2)
1. उस निर्माण संस्था का नाम जिसके लिए लाइसेंस अपेक्षित चाहा गया है	....
2. संस्था का पूरा पता। क्या परिसरस्वामित्व/किराए/पट्टे/ लीज /लीव लाइसेंस पर है, दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित हो	....
3. कार्यशाला/कारखाने की स्थापना की तिथि	....
4. स्वामी/स्वामियों एवं/या साझेदारों तथा लिमिटेड कंपनी के मामले में प्रबंध निदेशक के नाम, पते तथा उनके पिता/पति का नाम	....
5. कारखाने/दुकान/संस्था/ नगर निगम व्यापार लाइसेंस की तिथि और वर्तमान पंजीकरण संख्या	....
6. वर्तमान में निर्माण गतिविधियों की प्रकृति	....
7. उन बाट और माप के प्रकार जिनका निर्माण प्रस्तावित है, यथा: (i) बाट (ii) माप (iii) तौलने के उपकरण (iv) मापने के उपकरण प्रत्येक मामले में विवरण सहित	....
8. नियुक्त व्यक्तियों की संख्या/प्रस्तावित नियुक्ति (i) कुशल (ii) अर्ध-कुशल (iii) अकुशल (iv) इस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञ	....
9. निर्मित किए जाने वाले बाट और माप पर अंकित किया जाने वाला मोनोग्राम या ट्रेडमार्क	....
10. बाट, माप आदि के निर्माण के लिए स्वामित्व में रखी गई और उपयोग की जाने वाली मशीनरी, औजारों और सहायक उपकरणों का विवरण	....
11. व्यवस्थित की गई फाउंड्री/कार्यशाला सुविधाओं का विवरण क्या स्वामित्व, दीर्घकालिक पट्टा आदि के आधार पर है	....
12. महत्वपूर्ण पुर्जों आदि की स्टील कास्टिंग और कठोरता परीक्षण की सुविधाएं या अन्य साधन।	....
13. विद्‌युत ऊर्जा की उपलब्धता	....

14. सरकार या किसी वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण का विवरण। यदि हाँ, तो विवरण दें ....

15. बैंकरों के नाम, यदि कोई हों ....

16. GST नंबर/प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर/IT नंबर ....

17. क्या आपने पहले कभी मैन्युफैक्चरर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है? अगर हाँ, तो कब और उसका क्या नतीजा निकला? ....

18. (क) क्या जिस आइटम (आइटमों) को बनाने का प्रस्ताव है, उसे राज्य के अंदर बेचा जाएगा या राज्य के बाहर या दोनों जगह? ....

    (ख) भारत सरकार से मिले मॉडल अप्रूवल की डिटेल्स;

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाना है

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने **विधिक मापविज्ञान अधिनियम**, 2009 और दिल्ली विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 पढ़ लिए हैं और हम उनका पालन करने के साथ-साथ उनके तहत जारी किए गए या भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और निर्देशों का भी पालन करने के लिए सहमत हैं।

मैं/हम सहमत हैं कि जब भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, तो हम सरकार के पास निर्धारित लाइसेंस फीस जमा करेंगे।

ऊपर दी गई सारी जानकारी मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार पूरी तरह सच है।

स्थान : ....

तारीख : हस्ताक्षर और पदनाम

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाना है

आवेदन मिलने की तारीख:

आवेदन का सीरियल नंबर:

टिप्पणियाँ:

स्थान: ....

तारीख: एलएमओ/जैडओ के हस्ताक्षर और पदनाम

लाइसेंसिंग अथॉरिटी का अंतिम आदेश

लाइसेंस दिया गया / मना किया गया:

लाइसेंस नंबर:

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची – II-क

[नियम 11 (1) देखें]

प्रपत्र LR – 1

[विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत **माप एवं तोल** के मरम्मतकर्ता के रूप में लाइसेंस के लिए आवेदन]

प्रति,

(1)	आवेदक द्वारा भरा जाना है (2)
1. लाइसेंस चाहने वाली संस्था का नाम	....
2. कार्यशाला का पूरा पता	....
3. (क) क्या परिसर स्वामित्व वाला/किराए का/पट्टे पर लिया गया है दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित।	....
(ख) स्थापना की तिथि।	
4. मालिक (ओं) और/या भागीदारों के नाम (और पते), साथ ही उनके पिता/ पति के नाम; और सीमित कंपनी के मामले में प्रबंध निदेशक (ओं) के नाम	....
5. दुकान/संस्था/वर्तमान नगरपालिका व्यापार लाइसेंस की संख्या और तिथि	....
6. जीएसटी/व्यावसायिक कर/आईटी कर पंजीकरण संख्या आदि	....
7. मरम्मत के लिए प्रस्तावित बाट और माप के प्रकार	....
8. वह क्षेत्र जिसमें आप कार्य करना चाहते हैं	....
9. इस क्षेत्र में पिछला अनुभव	....
10. नियोजित कुशल कर्मचारियों की संख्या (या जिन्हें नियोजित करने का प्रस्ताव है):	....
(i) कुशल	
(ii) अर्ध-कुशल	
(iii) अकुशल	
(iv) इस क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मचारी	
11. उपलब्ध मशीनरी/औजारों/सामान का विवरण	....
12. विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता	....
13. क्या आपके पास उधार/परीक्षण बाट आदि का पर्याप्त भंडार है? विवरण दें	....
14. क्या आपने पहले कभी मरम्मतकर्ता के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है? यदि हाँ, तो कब और उसका क्या परिणाम रहा?	....

आवेदक(कों) द्वारा प्रमाणित किया जाना

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने **विधिक मापविज्ञान अधिनियम**, 2009 और दिल्ली विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 को पढ़ लिया है, और हम इनका तथा इनके तहत जारी किए गए या भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि जब भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, तो हम सरकार के पास निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा करेंगे।

ऊपर दी गई सभी जानकारी, मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार, पूरी तरह से सत्य है।

स्थान: ....

दिनांक: हस्ताक्षर और पदनाम

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाना है

आवेदन प्राप्त होने की तिथि:

आवेदन का क्रम संख्या:

टिप्पणियाँ:

स्थान: ....

दिनांक: एलएमओ/जैडओ के हस्ताक्षर और पदनाम

लाइसेंसिंग अथॉरिटी का अंतिम आदेश

लाइसेंस प्रदान किया गया/अस्वीकृत किया गया:

लाइसेंस संख्या:

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची – II–क

[नियम 11 (1) देखें]

प्रपत्र LD-1

[विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत **माप एवं तोल** के डीलर के रूप में लाइसेंस के लिए आवेदन प्रपत्र]

प्रति,

(1)	आवेदक द्वारा भरा जाना है (2)
1. उस प्रतिष्ठान/दुकान/व्यक्ति का नाम जो लाइसेंस चाहता है	....
2. प्रतिष्ठान आदि का पूरा पता	....
3. स्थापना की तिथि	....
4. स्वामियों और/या भागीदारों के नाम और पतेऔर लिमिटेड कंपनी के मामले में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) के नाम और पते	....
5. वर्तमान दुकान/प्रतिष्ठान/नगरपालिका व्यापार लाइसेंस के पंजीकरण संख्या और तिथि	....
6. वर्तमान में बेचे जा रहे/बेचे जाने के लिए प्रस्तावित **माप एवं तोल** की श्रेणियां	....
7. जीएसटी /व्यावसायिक कर/आयकर का पंजीकरण संख्या	....
8. क्या आप राज्य/देश के बाहर के स्थानों सेबाट आदि आयात करने का इरादा रखते हैं? यदि हाँ, तो आपूर्ति के स्रोतों का उल्लेख करें (निर्माता के ट्रेडमार्क/मोनोग्राम और उसके लाइसेंस संख्या का विवरण दें) और प्रदान करें: (क) बाट और माप के आयातक का पंजीकरण, यदि कोई हो (ख) केंद्र सरकार द्वारा भारत में आयात किए गए मॉडल की स्वीकृति	....
9. क्या आपने पहले कभी डीलर के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, चाहे इस राज्य में या कहीं और? यदि हाँ, तो विवरण दें?	....

आवेदक(कों) द्वारा प्रमाणित किया जाना

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 पढ़ लिए हैं और हम इनका तथा इनके अंतर्गत जारी किए गए या किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

मैं/हम सहमत हैं कि जब भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता होगी, हम सरकार के पास निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा करेंगे।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य है।

स्थान: ....

दिनांक: हस्ताक्षर और पदनाम

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाना है

आवेदन प्राप्त होने की तिथि:

आवेदन का क्रम संख्या:

टिप्पणियाँ:

स्थान: ....

दिनांक: एलएमओ/जैडओ के हस्ताक्षर और पदनाम

लाइसेंसिंग प्राधिकारी का अंतिम आदेश

लाइसेंस प्रदान किया गया/अस्वीकृत किया गया:

लाइसेंस संख्या:

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची—III
[नियम 11 (3) देखें] लाइसेंसिंग प्रपत्र
प्रपत्र LM-3
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधिक माप विज्ञान नियंत्रक का कार्यालय
(वजन, माप, तौलने या मापने वाले उपकरणों के निर्माण का लाइसेंस)

लाइसेंस संख्या............ **वर्ष ....**

1- विधिक माप विज्ञान नियंत्रक एतद्द्वारा .... (पक्ष या पक्षों का नाम और पता) को निम्नलिखित के निर्माण का लाइसेंस प्रदान करता है:-
(उन वजनों, मापों, तौलने वाले उपकरणों या मापने वाले उपकरणों का विवरण शामिल करें, जिनके निर्माण के लिए पक्ष को लाइसेंस दिया गया है)।

2- यह लाइसेंस ऊपर नामित पक्ष के लिए, उसके उस वर्कशॉप के संबंध में मान्य है जो पर स्थित है। ....

3- निर्माता नीचे दी गई शर्तों का पालन करेगा। यदि वह इनमें से किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

4- निर्माता द्वारा उपयोग किया जा रहा ट्रेडमार्क मोनोग्राम निम्नानुसार है।

....
(हस्ताक्षर)
विधिक माप विज्ञान नियंत्रक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(मुहर)
दिनांक ....
स्थान ....

टीप : किसी फर्म के मामले में, पैराग्राफ 1 में फर्म के नाम के साथ-साथ व्यवसाय में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों के नाम भी दिए जाने चाहिए।

लाइसेंस की शर्तें

1. जिस व्यक्ति के पक्ष में यह लाइसेंस जारी किया गया है, वह -
   (क) अधिनियम और नियमों के उन सभी प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा जो उस समय लागू हैं;
   (ख) अधिनियम के प्रावधानों, या समय-समय पर संशोधित नियमों के किसी भी उल्लंघन को न तो प्रोत्साहित करेगा और न ही उसकी अनदेखी करेगा;
   (ग) इस लाइसेंस को उस परिसर के किसी ऐसे प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करेगा जिससे यह संबंधित है;
   (घ) विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिए गए किसी भी सामान्य या विशेष निर्देश का पालन करेगा;
   (ङ) व्यवसाय बंद होने और/या लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में लाइसेंस वापस कर देगा;
   (च) वजन, माप, तौलने या मापने के उपकरण (जैसा भी मामला हो) - जो राज्य के भीतर उपयोग के लिए निर्मित और अभिप्रेत हैं - उन्हें बिक्री से पहले सत्यापन और मुहर लगवाने हेतु विधिक माप-विज्ञान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा;
2. इस लाइसेंस के जारी होने के बाद निर्धारित की गई प्रत्येक शर्त, यदि उसे राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है, तो उन व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगी जिन्हें यह लाइसेंस प्रदान किया गया है।

अनुसूची- III
[नियम 11 (3) देखें] लाइसेंसिंग प्रपत्र
प्रपत्र LR-3
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार
विधिक मापन नियंत्रक कार्यालय
(वजन, मापन, तौल या मापन उपकरणों की मरम्मत का लाइसेंस)

लाइसेंस संख्या .... वर्ष ....

1- विधिक मापन नियंत्रक एतद्द्वारा .... (पक्षकार/पक्षकारों का नाम और पता) को निम्नलिखित की मरम्मत का लाइसेंस प्रदान करता है:-
(वजन, मापन, तौल या मापन यंत्रों के प्रकारों का विवरण शामिल करें जिनकी मरम्मत के लिए पक्षकार को लाइसेंस दिया गया है)

2- यह लाइसेंस उपरोक्त नामित पक्षकार के लिए उसके कार्यशाला के संबंध में मान्य है जो निम्नलिखित पते पर स्थित है:................

3- मरम्मतकर्ता को नीचे दी गई शर्तों का पालन करना होगा। यदि वह किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

4- पार्टी को नीचे उल्लिखित क्षेत्रों में बाट, माप, वजन और मापन उपकरणों की मरम्मत करने का लाइसेंस प्राप्त है –

(मुहर) (हस्ताक्षर)
विधिक माप विज्ञान नियंत्रक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिनांक...............
स्थान..................

टीप: फर्म के मामले में, फर्म का नाम और व्यवसाय में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों के नाम पैराग्राफ (1) में दिए जाने चाहिए।

लाइसेंस की शर्तें

1. जिस व्यक्ति के पक्ष में यह लाइसेंस जारी किया गया है, वह -

(क) अधिनियम और नियमों के सभी प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा, जो उस समय लागू हों;

(ख) अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन को न तो बढ़ावा देगा और न ही उसे सहन करेगा, जो उस समय लागू हों;

(ग) इस लाइसेंस को उस परिसर के किसी ऐसे प्रमुख हिस्से में प्रदर्शित करेगा, जिससे यह संबंधित है;

(घ) विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिए गए किसी भी सामान्य या विशेष निर्देश का पालन करेगा;

(ङ) व्यवसाय बंद होने और/या लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में लाइसेंस को वापस (सरेंडर) कर देगा;

(च) (i) बाट, माप, तौलने या मापने वाले उपकरणों को (जैसा भी मामला हो) विधिवत मरम्मत करके, उपयोगकर्ता को सौंपने से पहले, नियम 14(1) में निर्दिष्ट अनुसार सत्यापन और मुहर लगाने के लिए विधिक माप-विज्ञान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ii) बाट, माप, तौलने या मापने वाले उपकरणों के मामले में, यदि उनका सत्यापन होने की नियत तिथि से पहले उनकी सर्विसिंग/मरम्मत की जाती है, और इस प्रक्रिया के दौरान विधिक माप-विज्ञान अधिकारी की सत्यापन मुहर खराब हो जाती है, हट जाती है या टूट जाती है, तो उन्हें विधिवत मरम्मत करके, उपयोगकर्ता को सौंपने से पहले, पुनः सत्यापन और मुहर लगाने के लिए विधिक माप-विज्ञान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

2. इस लाइसेंस के जारी होने के बाद निर्धारित की गई प्रत्येक शर्त, यदि उसे 'सरकारी राजपत्र' में अधिसूचित किया जाता है, तो वह उन व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगी, जिन्हें यह लाइसेंस प्रदान किया गया है।

अनुसूची— III

[नियम 11 (3) देखें]
लाइसेंसिंग प्रपत्र
प्रपत्र – LD- 3
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधिक माप विज्ञान नियंत्रक कार्यालय
(वजन, माप, तौलने या मापने वाले उपकरणों के डीलर को लाइसेंस)

लाइसेंस संख्या .... वर्ष ....

1. विधिक माप विज्ञान नियंत्रक एतद्द्वारा .... (पक्ष या पक्षों का नाम और पता) को निम्नलिखित में व्यापार करने का लाइसेंस प्रदान करता है (वजन और माप के प्रकार, वजन, या मापने वाले उपकरणों का विवरण इंगित करें, जिनके साथ पक्ष को व्यापार करने का लाइसेंस दिया गया है)
2. यह लाइसेंस ऊपर नामित पक्ष के लिए, उसके .... पर स्थित परिसर के संबंध में मान्य है।
3. डीलर नीचे दी गई शर्तों का पालन करेगा। यदि वह इनमें से किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

(मुहर) (हस्ताक्षर)
विधिक माप विज्ञान नियंत्रक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिनांक...............
स्थान..................

टीप : किसी फर्म के मामले में, उसका नाम और साथ ही उन सभी व्यक्तियों के नाम, जिनका व्यवसाय में कोई हित है, पैराग्राफ (1) में दिए जाने चाहिए।

लाइसेंस की शर्तें

1. जिस व्यक्ति के पक्ष में यह लाइसेंस जारी किया गया है, वह -

(क) अधिनियम और नियमों के उन सभी प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा जो उस समय लागू हैं;

(ख) अधिनियम या नियमों के उन प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन को न तो बढ़ावा देगा और न ही उसे सहन करेगा, जो उस समय लागू हैं;

(ग) इस लाइसेंस को उस परिसर के किसी ऐसे प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करेगा जिससे यह संबंधित है;

(घ) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिए गए किसी भी सामान्य या विशेष निर्देश का पालन करेगा;

(ङ) व्यवसाय बंद होने और/या लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में लाइसेंस को समर्पण कर देगा;

(च) किसी भी गैर-मानक बाट या माप को न तो बेचेगा, न बिक्री के लिए पेश करेगा, न प्रदर्शित करेगा और न ही अपने पास रखेगा।

2. इस लाइसेंस के जारी होने के बाद निर्धारित की गई प्रत्येक शर्त, यदि उसे राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है, तो उन व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगी जिन्हें यह लाइसेंस प्रदान किया गया है।

अनुसूची – IV

[नियम – 11 (4) और (5) देखें]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

विधिक माप विज्ञान नियंत्रक कार्यालय

(माप एवं तोल के निर्माताओं, मरम्मत करने वालों और डीलरों के लिए लाइसेंस शुल्क)

1. इन्हें लाइसेंस जारी करना:
   - (i) निर्माता Rs. 5000/- (पांच हजार रुपये)
   - (ii) मरम्मत करने वाले Rs. 2000/- (दो हजार रुपये)
   - (iii) डीलर Rs. 2000/- (दो हजार रुपये)
2. लाइसेंस में बदलाव: Rs. 1000/- (एक हजार रुपये)
3. डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना: Rs. 500/- (पांच सौ रुपये)

अनुसूची–V

[नियम 11 (6) देखें]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

विधिक माप विज्ञान नियंत्रक कार्यालय

वज़न, माप तथा वज़न/मापन उपकरणों के लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं/मरम्मत करने वालों/डीलरों का रजिस्टर

कार्यालय ....

लाइसेंस संख्या	जारी करने की तिथि	निर्माता / मरम्मतकर्ता / डीलर का नाम और पूरा पता	वह स्थान जहाँ कारखाना स्थित है	सामान जिनका निर्माण/ मरम्मत/ विक्रय किया जाना है	उपयोग किया जा रहा ट्रेडमार्क / मोनोग्राम	लाइसेंस रद्द करने के संबंध में आदेश	अपील का परिणाम	हस्ताक्षर सक्षम प्राधिकारी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

टीप: कॉलम (4) डीलरों पर लागू नहीं होता; कॉलम (6) मरम्मत करने वालों और डीलरों पर लागू नहीं होता।

अनुसूची —VI

[नियम 11(8) देखें]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक कार्यालय

लाइसेंसधारी मरम्मतकर्ता द्वारा जमा की जाने वाली सुरक्षा राशि:-

माप एवं तोल के उपकरणों का मरम्मतकर्ता तौलने और मापने वाले उपकरणों सहित:

Rs. 5000/- (पांच हजार रुपये)

अनुसूची – VII

[नियम 13 देखें]

(माप एवं तोल के संबंध में निर्माता द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर)

1- निर्माता का नाम और पता ....

2- **माप एवं तोल** का विवरण ....

3- (i) निर्माण लाइसेंस की संख्या ....

(ii) जिस तारीख को लाइसेंस जारी किया गया था ....

4- आदेश का विवरण (यदि कोई हो), जिसके द्वारा लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया गया हो ....

क्र. सं.	महीना	पिछले महीने का बिना बिका स्टॉक	महीने के दौरान निर्मित मात्रा	कुल 3+4	राज्य के भीतर बिक्री	
					बिकी हुई वस्तुओं की संख्या	डिस्पैच वाउचर संख्या और दिनांक
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

राज्य के बाहर बेचा गया		डिस्पैच वाउचर सं. और दिनांक	कुल बिक्री (6+9)	शेष (5-11)	टिप्पणियाँ
राज्य का नाम	बेची गई वस्तुओं की संख्या				
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

अनुसूची – VII
[नियम 13 देखें]

प्रपत्र LR-4

(माप एवं तोल के संबंध में मरम्मतकर्ता द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर)

मरम्मत करने वाले का नाम और पता ....   लाइसेंस संख्या..................

लाइसेंस जारी होने की तिथि ....

क्र. सं.	दिनांक	उपयोगकर्ता का नाम जिससे प्राप्त हुआ	मरम्मत हेतु बुक की गई वस्तुएँ और उनकी संख्या	रसीद संख्या और उपयोगकर्ता को जारी करने की तिथि
1	**2**	**3**	**4**	**5**

मरम्मत शुल्क की राशि	सत्यापन शुल्क की राशि	कुल प्रभारित राशि	उपयोगकर्ता को वापसी की तिथि	टिप्पणियाँ
6	**7**	**8**	**9**	**10**

अनुसूची – VII
[नियम 13 देखें]
प्रपत्र - LD-4

(माप एवं तोल के डीलर द्वारा बनाए रखा जाने वाला रजिस्टर)

1- डीलर का नाम और पता ....

2- **माप एवं तोल** का विवरण ....

3- (i) डीलर लाइसेंस नंबर ....

(ii) जिस तारीख को लाइसेंस जारी किया गया था ....

4- आदेश का विवरण, यदि कोई हो, जिसके द्वारा

लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया गया हो ....

5- **माप एवं तोल** की श्रेणी ....

(श्रेणी क या ख)

क्र. सं.	**महीना**	**पिछले महीने का बिना बिका स्टॉक**	**इस महीने राज्य के भीतर से लाया गया**	**इस महीने राज्य के बाहर से लाया गया**	**कुल (3+4+5)**
1	2	3	4	5	6

राज्य के भीतर बेचा गया		**राज्य के बाहर बेचा गया**			**कुल बिक्री (7+9)**	**शेष (6-12)**	**टिप्पणियाँ**
बेची गई वस्तुओं की संख्या	**डिस्पैच वाउचर सं. और दिनांक**	**बेची गई वस्तुओं की संख्या**	**डिस्पैच वाउचर सं. और दिनांक**	**राज्य का नाम**			
7	8	9	10	11	12	13	14